न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या –21/2020

वदीया

1. मेतीदेवी पत्नि पीराराम जाति मेगवाल निवासी रूपावटी खुर्द तहसील रानीवाडा जिला जालोर

प्रतिवादीगण

1. नवा पुत्र खुमा जाति कोली निवासी रूपावटी खुर्द तहसील रानीवाडा जिला जालोर
2. एस.बी.आई.बैंक शाखा रानीवाडा जरिये प्रबन्धक
3. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादीया अधिवक्ता श्री अमृत कटारिया।
2. प्रतिवादी संख्या 2 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

दिनांक 10.08.2021

1. वदीया द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53, 188 बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा रूपावटी खुर्द तहसील रानीवाडा मे वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त व सामलाती खातेदारी की आराजी नवीन खसरा नम्बर 236 रकबा 3.00 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 237 रकबा 0.38 हेक्टेयर जूमले रकबा 3.38 हेक्टेयर की आई हुई है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में नवा पुत्र खुमा हिस्सा 1/3 जाति कोली सा.देह खातेदार व मेती पत्नि पीरा हिस्सा 2/3 जाति मेगवाल सा.देह खातेदार दर्ज है।
2. वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार उक्त आराजी का आपसी सहमति से बंटवाडा मौके पर कब्जे काश्त अनुसार करवाने हेतु कहा परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमति से बंटवाडा करने में आना कानी की। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त समलाती खातेदारी आराजी का बंटवाडा नही करवाना चाहता है, जिससे वादीया को उक्त आराजी पर काश्त करने व विकास करने में भारी कठिनाईया आ रही है। आज से दस दिन पूर्व वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त आराजी का आपसी सहमति से मौके पर व रेकर्ड में विधिवत बंटवाडा करवाने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीया को आपसी सहमति से बंटवडा करवाने से मना कर दिया तथा वादीगण को उक्त आराजी से लाठी के बल पर बेदखल कर उक्त आराजी को हड़पने व उक्त आराजी में पक्का निर्माण करने तथा ज्या[illegible] [illegible] पर अजनबी क्रेता को बैचान की धमकी दी। तत्पश्चात आज से तीन दिन दिनांक [illegible].07.2020 पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 व उनके परिवार वालों ने बाले वाले उक्त सामलाती आराजी मे पक्का निर्माण कार्य करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.09.03 11:54:00 IST
Reason: SelfAttested

हेतु सफाई का कार्य शुरू किया। तब वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 व उनके परिवार वालों से कहा कि उक्त आराजी का अभी तक विधिवत बंटवाडा नहीं हुआ हैं, आप निर्माण कार्य मत करों तो भी प्रतिवादी संख्या 1 नहीं माने। जब तक उक्त आराजी का विधिवत बंटवाडा नही हो जाता तब तक प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त सामलाती आराजी में विशेष भू भाग पर पक्का कार्य करवाने का कोई अधिकार नहीं है। वादीया उक्त आराजी का मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर बंटवाडा करवाने के अधिकारी हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 के उक्त अवैध व गैर कानूनी कार्यो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रूकवाने के अधिकारीणी होने से वादीया की ओर से यह दावा बाबत बंटवाडा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है।

3. वादिया का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बाद तामील सम्मन अनुपस्थित होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। व प्रतिवादी संख्या 3 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा उपस्थित।

4. दिनांक 11.01.2021 को न्यायालय द्वारा वादीया अधिवक्ता के निवेदन पर खातेदारो के हक हिस्से अनुसार मौजा रूपावटी खुर्द के खसरा नम्बर 236 रकबा 3.00 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 237 रकबा 0.38 हेक्टेयर जूमले रकबा 3.38 हेक्टेयर के मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/कोर्ट/2021/72 दिनांक 15.01.2021 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/राजस्व/2021/29 दिनांक 22.01.2021 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं। तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । वादीया के अधिवक्ता को सुना गया, वादीया अधिवक्ता द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव पर निवेदन किया कि वादीया व प्रतिवादी के बीच स्थित लोर थोडा टेड़ा दर्शाया है। जिससे वादी व प्रतिवादी के बीच लोर को लेकर विवाद चलता रहेगा। ऐसी स्थिति में वादी व प्रतिवादी के बीच लोर को सीधा कर अन्तीम डिक्री जारी कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करावाने का आदेश करावें ताकि वादीया व प्रतिवादी के बीच कोई विवाद नहीं रहें। वादीया अधिवक्ता की आपत्ति पर राजपेरोकार को सूना गया । वादीया की आपत्ति को मध्यनजर रखते हुए पून बंटवाडा प्रस्ताव तहसीलदार रानीवाडा से मंगवाया गया जिसमें तहसीलदार रानीवाडा द्वारा रिपोर्ट में पेश कर बताया कि मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार प्रस्ताव बना हुआ है। बंटवाडा तैयार करते वक्त राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम के प्रावधान 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवाडा तैयार किया हुआ है। वादीया ने जो सीधा रेखा में बंटवाडा चाहा है इससे और विवाद बढने की संभावना रहेगी। कब्जा आदान प्रदान करने में कानून व्यवस्था भी प्रभावित होगी। अतः कब्जे के अनुसार प्रस्ताव उचित प्रतित होता है। जिसे वादीया ने स्वीकार कर हस्ताक्षर किये हुए है।

5. तहसीलदार रानीवाडा की रिपोर्ट पर वादीया अधिवक्ता व राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा को सुना गया। बंटवाडा प्रस्ताव पर मनन करने पर पाया गया कि तहसीलदार रानीवाड़ा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बंटवारे की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.09.03 11:54:00 IST
Reason: SelfAttested

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	नवा पुत्र खूमा जाति कोली सा. देह खातेदार रहन एसबीबीजे रानीवाडा	236	3.00	1.126	बारानी दोयम	लाल	3.38
2.	मेतीदेवी पत्नि पीराराम कौम मेघवाल सा.देह खातेदार रहन आरएमजीबी बडगांव	236	3.00	1.874	बारानी दोयम	नीला	5.62
		237	0.38	0.38	बारानी दोयम	नीला	1.14

6. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 10.08.2021 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.09.03 11:54:00 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादीया		प्रतिवादीगण
1. मेतीदेवी पत्नि पीराराम जाति मेगवाल निवासी रूपावटी खुर्द तहसील रानीवाडा जिला जालोर	बनाम	1. नवा पुत्र खुमा जाति कोली निवासी रूपावटी खुर्द तहसील रानीवाडा जिला जालोर 2. एस.बी.आई.बैंक शाखा रानीवाडा जरिये प्रबन्धक 3. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 21/2020

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीया की ओर से वकील श्री अमृत कटारिया उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 3 राजपेरोकार उपस्थित, तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 के विरूद्ध अनुपस्थित रहने से एक पक्षकीय कार्यवाही होने से अनुपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	नवा पुत्र खूमा जाति कोली सा. देह खातेदार रहन एसबीबीजे रानीवाडा	236	3.00	1.126	बारानी दोयम	लाल	3.38
2.	मेतीदेवी पत्नि पीराराम कौम मेघवाल सा.देह खातेदार रहन आरएमजीबी बडगांव	236	3.00	1.874	बारानी दोयम	नीला	5.62
		237	0.38	0.38	बारानी दोयम	नीला	1.14

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में प्राप्त आराजी के सम[illegible] एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी [illegible] की स्थायी निषेधाज्ञा जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.09.03 11:54:00 IST
Reason: SelfAttested

की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 10.08.2021 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	मौजाना	0	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.09.03 11:54:00 IST
Reason: SelfAttested